भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2417

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण,1947 (शक) को दिया जाना है)

लघु बचत योजना

2417. श्री राकेश राठौरः

क्या *वित्त* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश के डाकघरों में छह लाख से अधिक लघु बचत एजेंट लघु बचत योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन 2011 के बाद इन योजनाओं में निवेश पर मिलने वाला कमीशन या तो समाप्त कर दिया गया है या कम कर दिया गया है, यदि हाँ, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन योजनाओँ के संचालन में एजेंटों की भूमिका को देखते हुए उनका कमीशन बहाल करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का लघु बचत अभिकरण प्रणाली के लिए 1960 में बनाए गए नियमों की समीक्षा हेतु एक समिति गठित करने का विचार है जिससे इसे डिजिटल युग और विद्यमान आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रासंगिक बनाया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के लिए लघु बचत एजेंटों द्वारा 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' संचालित कराए जाने का विचार है जिससे वृद्धजन घर बैठे सेवाएँ प्राप्त कर सकें और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) वर्तमान में, देशभर में डाकघरों में लघु बचत योजनाओं के संचालन के लिए 2,66,414 महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) और मानकीकृत एजेंसी प्रणाली (एसएएस) एजेंट कार्यरत हैं। अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार का ध्यान डिजिटल लेनदेन की ओर केंद्रित करने के मद्देनजर, योजना में निवेश करने पर कमीशन की समीक्षा की गई। 2011 से पूर्व और 2011 के बाद भुगतान किए गए कमीशन का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:

क्र.सं.	योजना का नाम	2011 से पूर्व	2011 के बाद
1.	राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष)	1.0%	0.5%
2.	5 वर्षीय आवर्ती जमा योजना	4.0%	4.0%
3.	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	1.0%	-
4.	मासिक आय खाता योजना	1.0%	0.5%
5.	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र	1.0%	0.5%
6.	सार्वजनिक भविष्य निधि योजना	1.0%	-
7.	किसान विकास पत्र (वर्ष 2011 में बंद कर दी गई और वर्ष 2014 में पुनः शुरू की गई)	1.0%	0.5%
8.	सुकन्या समृद्धि खाता योजना (वर्ष 2014 में शुरू की गई योजना)	लागू नहीं	-

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्ष 2010-11 में एमपीकेबीवाई और एसएएस एजेंटों को कुल ₹2324.15 करोड़ का कमीशन दिया गया था। वर्ष 2023-24 में उपरोक्त एजेंटों को दिया गया कमीशन ₹4149.77 करोड़ था।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

****